अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

निरंजन अंसारी प्रथम पक्ष

पक्ष

बनाम मन्सूर अंसारी द्वितीय पक्ष वगैरह

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 12/22 सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक निरंजन अंसारी पे० हुसैन मियॉ, साकिन–खरखरो, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह के द्वारा प्राप्त आवेदन जो मौजा–खरखरो, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह के अंदर खाता नं०–19, प्लॉट नं०–1580, रकवा–04 डी०, चौहद्दीः उ०–रास्ता, द०–मोहदली मियाँ, पू०–इसमाईल मियाँ, प०–मोहदी मियाँ, प्लॉट नं०–1583, रकवा–06 डी०, चौहद्दीः उ०–तुला मियाँ, द०–बहदली मियां, पू०–इसमाईल मियां, प०–बहदली मियां वो प्लॉट नं०–1585, रकवा–03 डी, चौहद्दीः उ०–मोहदली मियां, द०–तुला मियां, पू०–रास्ता, प०–तुला मियां वो प्लॉट नं०–1586, रकवा–05 डी० चौहद्दीः उ०–तुला मियां, द०–तुला मियां, पू०–मोहदली मियां, प०–रास्ता वो प्लॉट नं०–1592, रकवा–05 डी०, चौहद्दीः उ०–तुला मियां, द०–मोहदली मियां, पू०–मोहदली मियां, प०–रास्ता वो प्लॉट नं०–1590, रकवा–09 डी०, चौहद्दीः उ०–मोहदली मियां वो तुला मियां, द०–रास्ता, पू०–तुला मियां, खाता नं०–19, प्लॉट नं०–1589, रकवा–10 डी०, चौहद्दीः उ०–मोहदली मियां, द०–रास्ता, पू०–इसमाईल मियां, प०–तुला मियां विवादित जमीन पर निषेधाज्ञा लगाने की मांग की गई प्रतिवेदन की मांग करें। अंचल अधिकारी – एवं थाना प्रभारी से प्रतिवेदन मांगें। अभिलेख दिनांक 3/2/21 को रखें। (हस्ताक्षर) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

...श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
31/01/22	अभीलेख उपस्थापित। मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी बगोदर के पत्रांक DRM 150 दिनांक 25/01/22 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के आवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भुमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होनें की आशंका हैं एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खुन खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से में संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 10/02/22 को करण–पृच्छा की मॉग की जाती है कि क्यों नही एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित । अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया। अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया। 31/01/22	

[आदे]श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10.02.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष वकालतन हाजिर। अभिलेख दिनांक 17.02.2022 को रखें।	
17/02/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन उपस्थित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा धारा-188 हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया। to 24/02/22 [signature]	
24/02/22	अभिलेख उपस्थापित। ~~उभय~~ द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष वकालतन उपस्थित to 03/03/22	
03/03/22	अभिलेख। उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा S/C दाखिल किया गया। TO 10/03/22 [signature]	
10/03/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। बहस हेतु 24/03/22 को रखें। [signature] 10/3	

श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24-03-22	उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों को सुना। आदेशार्थ । 24/03	
26/03/22	उभय पक्षों को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभय पक्ष एक ही खतियानी रैयत के वंशज हैं तथा पूर्व में किये गये खानगी बँटवारे को उभय पक्ष द्वारा माने नहीं जाने के कारण यह विवाद है। अंचल अधिकारी बगोदर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम पक्ष के नाम अंचल कार्यालय में जमाबंदी कायम है। लेकिन द्वितीय पक्ष को यह भूमि खतियानी रैयतों के वंशजों के द्वारा बदलेन से हासिल है। वर्तमान में स्थल पर द्वितीय पक्ष का एक कमरे का मकान एवं कुआँ निर्मित है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत विवाद आपसी बँटवारा एवं स्वत्व से सम्बन्धित है जिसका निपटारा व्यवहार न्यायालय में ही हो सकता है, अतः	

निषेधाज्ञा को समाप्त करते हुये उभय पक्ष को विवाद के निपटारे हेतु ~~[illegible]~~ सक्षम न्यायालय में जाने का निदेश दिया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

18/6/22

SDM

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.06.21 12:20:43 +05:30
Location: 192.168.1.6